+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(28 March 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- आव्रजन और विदेशी विधेयक - 2025, लोकसभा में ध्वनिमत से पारित
- भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर सकता है?
- भारत को अपनी 'गहरे समुद्र' की क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता क्यों है?
- MCQ

आव्रजन और विदेशी विधेयक - 2025, लोकसभा में ध्वनिमत से पारित:

'भारत कोई धर्मशाला नहीं':

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को लोकसभा में कहा कि जो लोग व्यापार, शिक्षा और निवेश के लिए भारत आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देश कोई धर्मशाला नहीं है।

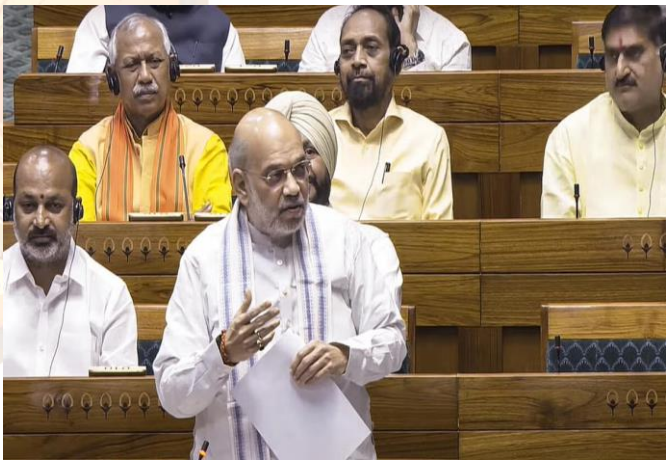

- उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री शाह ने यह टिप्पणी लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पर बहस का जवाब देते हुए कही। बाद में विधेयक को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

आव्रजन और विदेशी विधेयक की आवश्यकता क्यों है?

- केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह विधेयक देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने, शिक्षा प्रणाली को वैश्विक

मान्यता दिलाने और विश्वविद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने में मदद करने के लिए आवश्यक है।

- यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी के बारे में नवीनतम जानकारी मिले।
- केंद्रीय गृह मंत्री ने म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्याओं द्वारा भारत में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर बात करते हुए, रेखांकित किया कि निजी लाभ के लिए भारत में शरण लेने वाले ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे देश असुरक्षित हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर घुसपैठिए भारत में अशांति फैलाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आव्रजन एवं विदेशी विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान:

- आव्रजन एवं विदेशी विधेयक, 2025 के अनुसार, भारत में प्रवेश करने या देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सात वर्ष तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- प्रस्तावित कानून में होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और नर्सिंग होम द्वारा विदेशियों के बारे में जानकारी अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान

है, ताकि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके।

- यह विधेयक केंद्र सरकार को उन स्थानों पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है जहां "विदेशियों का अक्सर आना-जाना लगा रहता है" तथा इसके तहत मालिक को परिसर को बंद करने, निर्दिष्ट शर्तों के तहत इसके उपयोग की अनुमति देने, या सभी या "निर्दिष्ट वर्ग" के विदेशियों को प्रवेश देने से मना करने का अधिकार दिया गया है।
- कोई भी विदेशी व्यक्ति जो कानून के प्रावधानों के किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या वीजा सहित अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे पांच वर्ष तक की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

आव्रजन से संबंधित वर्तमान कानूनों का निरस्तीकरण:

- इसके विधेयक के तहत वर्तमान में विदेशियों और आव्रजन से संबंधित मामलों को जिन चार कानूनों - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939; विदेशी अधिनियम, 1946; और आव्रजन (वाहक

दायित्व) अधिनियम, 2000 - के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, उन सभी कानूनों को अब निरस्त करने का प्रस्ताव है।

- यद्यपि इस विधेयक में सरलीकरण और सामंजस्य के बाद निरस्त किए जाने वाले चार अधिनियमों के कई विद्यमान प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नए प्रावधान भी हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर सकता है?

परिचय:

- भारत की आबादी दुनिया की 18% है, लेकिन इसका वैश्विक GDP में योगदान 3.5% और वैश्विक व्यापार में योगदान 2% से भी काम है। वहीं, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVC) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 70% से अधिक योगदान देती हैं, इसलिए भारत की विकास यात्रा GVC में एकीकरण और विस्तार पर निर्भर करती है।

- ऐसे में तेजी से विकास के लिए, भारत को निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसे वह GVC अग्रणी फर्मों के साथ अपनी विनिर्माण क्षमताओं को संरेखित करके और वैश्विक प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर हासिल कर सकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर:

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से स्मार्टफोन विनिर्माण, वैश्विक ब्रांडों का लाभ उठाने की क्षमता का उदाहरण है। 2016 में, भारत ने अपने लगभग 80% स्मार्टफोन आयात किए, लेकिन आज देश ने लगभग पूर्ण आयात प्रतिस्थापन हासिल कर लिया है और 15 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के स्मार्टफोन निर्यात कर रहा है।
- इस सफलता को मुख्य रूप से Apple जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग करके आगे बढ़ाया गया है, जिसने 150,000 से अधिक ब्लू कॉलर नौकरियों का सृजन किया है, जिसमें 70% से अधिक कार्यबल महिलाएं हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यह 2030 तक 500 अरब डॉलर का उत्पादन प्राप्त कर सकता है, जिससे 2.4 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी, या इस क्षमता के आधे से भी कम पर स्थिर हो सकता है।
- ऐसे में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करना भारत के स्थायी प्रतिष्ठान (PE) विनियमों में महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने पर निर्भर करेगा जो वैश्विक ब्रांडों को भारत में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तरह से जोड़ने से हतोत्साहित करते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

स्थायी प्रतिष्ठान (PE) क्या होता है?

- स्थायी प्रतिष्ठान (PE) से तात्पर्य व्यवसाय के एक निश्चित स्थान से है जिसके माध्यम से कोई कंपनी किसी अन्य देश में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, अपना व्यवसाय संचालित करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यह निर्धारित करती है कि कोई विदेशी कंपनी किसी विशेष देश में करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या नहीं।
- उल्लेखनीय है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में, स्थायी प्रतिष्ठानों का विनियमन, वैश्विक ब्रांडों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे भारतीय बाजार में पूरी तरह से एकीकृत होने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है।

स्थायी प्रतिष्ठान (PE) का विनियम क्यों मायने रखता है?

- भारत के स्थायी प्रतिष्ठान (PE) नियम इन्वेंट्री के भंडारण या पूंजीगत उपकरणों की खेप को कर योग्य उपस्थिति बनाने के रूप में मान सकते हैं। नतीजतन, इन विदेशी फर्मों के वैश्विक मुनाफे का एक हिस्सा भारतीय करों के अधीन हो सकता है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे उद्योग के लिए, जहां प्रमुख फर्मों, अनुबंध निर्माताओं और सैकड़ों आपूर्तिकर्ताओं का समन्वय आवश्यक है, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, iPhone 50 देशों के 180+ आपूर्तिकर्ताओं के घटकों को एकीकृत करता है।
- इसके अलावा, तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति का मतलब है कि उत्पादन लाइनों को बार-बार अपग्रेड या रीटूल करना होगा, जिसके लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी घर्षण - जैसे कि वेयरहाउसिंग या पूंजीगत उपकरणों को भेजने से उत्पन्न होने वाली अनुचित देनदारियां - GVC खिलाड़ियों को स्थानीय उपस्थिति स्थापित करने से रोकती हैं।
- उल्लेखनीय है कि चीन और वियतनाम ने उपर्युक्त विनियामक बाधाओं को कम करके इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) में दबदबा बना लिया है। यदि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बनना चाहता है, तो उसे भी इन नियामक चुनौतियों को दूर करना होगा।

भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हब बनाने की आवश्यकता:

- मोबाइल निर्माण में लॉजिस्टिक्स जटिल है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं को प्रतिदिन हज़ारों कंपोनेंट्स को संग्रहीत और असेंबली लाइनों में भेजना पड़ता है। वे सैकड़ों

आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत और गुणवत्ता पर भी बातचीत करते हैं, जिससे अनावश्यक घर्षण बढ़ता है।

- दुनिया भर में इस समस्या का समाधान वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री (VMI) मॉडल से किया गया है, जहाँ घटक विक्रेता ब्रांडों के साथ सीधे सौदे कर, इन्वेंट्री का प्रबंधन विनिर्माण स्थलों के पास गोदामों से करते हैं। इससे कीमत और देरी कम होती है, और निर्माता उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- हालांकि, भारत के PE नियम इस मॉडल को हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि यदि कोई वैश्विक आपूर्तिकर्ता भारत में गोदाम रखता है, तो उसे स्थायी प्रतिष्ठान (PE) मानकर कर देयता लग सकती है। इससे अनुबंध निर्माताओं पर इन्वेंट्री प्रबंधन का अतिरिक्त बोझ आ जाता है। ऐसे में भारत में VMI को सक्षम करने से, अनुबंध निर्माताओं का परिचालन बोझ कम होगा, भारत में वैश्विक घटक केंद्रों की स्थापना होगी और स्थानीय उद्यमियों को अत्याधुनिक घटकों तक पहुंच मिलेगी, जिससे नवाचार और उत्पाद-अर्थव्यवस्था का विकास तेज होगा।

पूंजीगत उपकरणों की चुनौती का समाधान:

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए 40 अरब डॉलर के पूंजीगत उपकरण निवेश की जरूरत होगी। हालांकि, तकनीकी प्रगति के

कारण उपकरणों का जीवनकाल छोटा होता है और बार-बार अपग्रेड की आवश्यकता होती है, जिससे अधिकांश अनुबंध निर्माता इतने बड़े निवेश में असमर्थ या अनिच्छुक रहते हैं।

- चीन और वियतनाम में, वैश्विक ब्रांड निष्क्रिय स्वामित्व मॉडल अपनाते हैं, जहाँ वे खुद उपकरण खरीदकर निर्माताओं को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इससे पुराने उपकरणों का पुनः उपयोग संभव हो जाता है और खरीद प्रबंधन आसान हो जाता है।
- लेकिन भारत में PE विनियमन इस मॉडल को अपनाने में बाधा डालते हैं, जिससे भारतीय निर्माताओं को पूरी पूंजी लागत खुद वहन करनी पड़ती है। इससे वे चीनी और वियतनामी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कमजोर पड़ते हैं। यदि इस मुद्दे को हल किया जाए, तो न केवल निर्माताओं का वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि सरकार द्वारा पूंजीगत उपकरणों की सब्सिडी की आवश्यकता भी घट जाएगी।

भारत में GVC एकीकरण और PE बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता:

- उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वैश्विक नेता बनने की भारत की महत्वाकांक्षा भारत में GVC ब्रांडों को आकर्षित करने और उनके संचालन को बढ़ाने

की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है। PE बाधाओं को संबोधित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- वित्त मंत्री ने गैर-निवासियों के लिए कर निश्चितता के लिए सुरक्षित बंदरगाह ढांचे की घोषणा की, जो निर्दिष्ट इकाइयों को घटकों की आपूर्ति के लिए इन्वेंट्री संग्रहीत करने की अनुमति देगा। हालांकि, सैकड़ों विक्रेताओं के लिए इस ढांचे में प्रवेश प्रशासनिक रूप से जटिल होगा, जिससे घटक खेप में और बाधाएं आ सकती हैं।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक्स GVC में प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए सीमित समय है। यह सिर्फ कर बोझ कम करने का मामला नहीं है, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी, नवाचार-समर्थक और सतत विकास वाला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत को अपनी 'गहरे समुद्र' की क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता क्यों है?

परिचय:

- पिछले महीने, भारत ने अपने 'मत्स्य-6000' पनडुब्बी, का जल परीक्षण पूरा किया, जो तट से दूर पानी के नीचे खनिजों की तलाश करने के लिए सतह से 6 किमी नीचे तक गोता लगाने में सक्षम है। साथ ही इस साल के अंत में पहले गहरे समुद्र में मानवयुक्त वाहन के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है - यह भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर देगा जो इन गहराईयों में मनुष्यों को भेजने की क्षमता रखते हैं।

- उल्लेखनीय है कि पिछले हफ़्ते, चीन ने एक कॉम्पैक्ट गहरे समुद्र में केबल काटने वाला उपकरण पेश किया जिसे कुछ पनडुब्बियों पर लगाया जा सकता है - और जो दुनिया की सबसे मजबूत पानी के नीचे संचार या बिजली लाइनों को काटने में सक्षम है।

गहरे समुद्र में कार्य करने से जुड़ी चुनौतियाँ:

- गहरे समुद्र की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक महत्ता के कारण भारत को अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में संसाधनों के दोहन और सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकों और क्षमताओं का विकास करना होगा।
- उल्लेखनीय है कि UNCLOS के अनुसार, EEZ समुद्र में 200 समुद्री मील (370 किमी) तक फैला होता है, जहाँ देश को सजीव और निर्जीव संसाधनों पर विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं।
- भारतीय EEZ की औसत गहराई 3,741 मीटर है, जो मारियाना ट्रेंच की 10 किमी से अधिक गहराई की तुलना में उथली है, लेकिन फिर भी इसमें संचालन के लिए अत्यधिक विशिष्ट और महंगी तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- उदाहरण के लिए, पानी के भीतर ध्वनि संचार तापमान, दबाव और लवणता से प्रभावित होता है, जिससे बहुत कम आवृत्ति (VLF) और अत्यंत कम आवृत्ति (ELF) ध्वनि तकनीकों के विकास की आवश्यकता होती है, जो अत्याधुनिक अनुसंधान और भारी निवेश की मांग करती हैं।
- इसके अलावा, समुद्र की गहराई के हर 10 मीटर पर दबाव एक वायुमंडल (atm) बढ़ जाता है, जिससे भारतीय EEZ के समुद्र तल पर दबाव पृथ्वी की सतह के

मुकाबले 380 गुना अधिक होता है। इतनी गहराई में सुरक्षित संचालन के लिए विशेष सामग्री और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

- इसलिए, भारत को गहरे समुद्र में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तकनीकी नवाचार और अनुसंधान में निवेश करने की आवश्यकता है।

भारत को 'गहरे समुद्र' की क्षमताओं की आवश्यकता क्यों है?

- भारत को नीली अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने और समुद्री संसाधनों (मछली, खनिज, गैस हाइड्रेट, तेल, गैस, न्यूट्रास्यूटिकल्स और जलवायु डेटा) का दोहन करने के लिए गहरे समुद्र की तकनीक विकसित करनी होगी।
- इसके लिए आवश्यक है कि:
  - ➢ हाइड्रोग्राफिक अनुसंधान और अन्वेषण तकनीक की
  - ➢ गोताखोरी, बचाव और पनडुब्बी बचाव क्षमताओं की
  - ➢ निम्नलिखित समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास की, जैसे:
    - ★ अंडरसी केबल (जो वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का 95% संचारित करती हैं)
    - ★ तेल और गैस पाइपलाइन
    - ★ समुद्री खनन उपकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधाएँ

- भारत को समुद्र तल के मानचित्रण और पानी के नीचे के डोमेन पर जागरूकता बनाए रखनी होगी ताकि सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा की जा सके।

'गहरे समुद्र' की क्षमता विकसित करने की लिए क्या करना चाहिए?

- हर विशिष्ट तकनीक की तरह, गहरे समुद्र की तकनीक विकसित करने के लिए भी वित्तीय मजबूती, अनुसंधान क्षमता और कुशल मानव संसाधन आवश्यक हैं। इसलिए ही चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान और अन्य अग्रणी देश इस क्षेत्र में आगे हैं, विशेष रूप से चीन का निवेश उल्लेखनीय लाभ दे रहा है।
- भारत सरकार ने 2018 में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 'गहरे समुद्र मिशन' की शुरुआत की, जिसमें 'मत्स्य-6000' पनडुब्बी का विकास शामिल है।
- उल्लेखनीय है कि गहरे समुद्र अनुसंधान में उत्कृष्टता संस्थानों की स्थापना से इस क्षेत्र में शैक्षणिक उत्कृष्टता, विशेषज्ञता और कौशल का पोषण होगा।
- साथ ही भारत को इस मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए उदार वित्त पोषण और एक सशक्त निकाय की भी आवश्यकता है। इसलिए, महासागर विकास विभाग

को कैबिनेट स्तर के मंत्रालय में परिवर्तित कर, इससे जुड़े सभी विभागों को इसके प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए।

- इसके अलावा, भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि गहरे समुद्र की तकनीकें "दोहरे उपयोग" वाली होती हैं – यानी, महासागर अनुसंधान और दोहन के लिए विकसित उपकरण सैन्य उद्देश्यों में भी उपयोग किए जा सकते हैं। भारत को अपनी रणनीति में इस पहलू को भी सक्रिय रूप से शामिल करना होगा।

'समुद्रयान': भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन

- समुद्र की गहराई में छिपे कई रहस्यों को खोजने के लिए भारत ने मेगा महासागर मिशन 'समुद्रयान' शुरू किया है। इसका उद्देश्य मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन 'मत्स्या 6000' के जरिए गहरे पानी के अंदर विशेषज्ञों की एक टीम को भेजना है।
- इसकी सफलता भारत को छह देशों (अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन) में से एक बना देगा, जिसने 5,000 मीटर से अधिक समुद्र के नीचे एक चालक दल के अभियान का संचालन किया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मत्स्य 6000 क्या है?

- यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा विकसित एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है। इसे गहरे समुद्र में मनुष्यों को खनिज संसाधनों की खोज में सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- इस गहरे समुद्र में 12 घंटे तक काम करने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, जबकि आपातकालीन स्थिति में यह मानव सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों के साथ 96 घंटे तक काम कर सकता है।

MCQ

Q.1. हाल ही में लोकसभा में पास किये गए 'आव्रजन और विदेशी विधेयक - 2025' के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसके अनुसार, भारत में प्रवेश करने या देश में रहने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा वाले किसी भी व्यक्ति को 5 वर्ष तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2. यह विधेयक केंद्र सरकार को उन स्थानों पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है जहां विदेशियों का अक्सर आना-जाना लगा रहता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (b)

Q.2. चर्चा में रहे निम्नलिखित युग्मों में कौन-सा सुमेलित है?

(a) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम: 1920

(b) विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम: 1946

(c) विदेशी अधिनियम: 1951

(d) आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम: 2005

Ans. (a)

Q.3. चर्चा में रहे 'स्थायी प्रतिष्ठान (PE)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. स्थायी प्रतिष्ठान से तात्पर्य व्यवसाय के एक निश्चित स्थान से है जिसके माध्यम से कोई वैश्विक कंपनी किसी अन्य देश में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, अपना व्यवसाय संचालित करती है।
2. भारत के विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में, स्थायी प्रतिष्ठानों का विनियमन, वैश्विक ब्रांडों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (c)

Q.4. वर्तमान में निम्नलिखित देशों की सूची में से कौन-सा/से देश शामिल है/हैं, जिन्होंने 5,000 मीटर से अधिक समुद्र के नीचे चालक दल के अभियान का संचालन किया है?

(a) अमेरिका

(b) जापान

(c) फ्रांस

(d) उपर्युक्त सभी देश शामिल हैं।

Ans. (d)

Q.5. चर्चा में रहे 'मत्स्य 6000' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई द्वारा विकसित एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है।
2. इसकी सफलता भारत को छह देशों में से एक बना देगा, जिसने 5,000 मीटर से अधिक समुद्र के नीचे एक चालक दल के अभियान का संचालन किया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (c)